प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 10.10.2022 की, जो कि सत्यभामा अजय दुबे,प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव व्दारा जमानत प्रकरण क्रमांक 803/2022 में अभिलिखित की गई है एवं जिसके कि पक्षकारगण निम्नानुसार हैं :–

बिंझवार पटेल आ0 स्वर्गीय शंकर लाल पटेल,
आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम बागव्दार, थाना गेंदाटोला,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

.....आवेदक/अभियुक्त,

।। वि रू द्ध ।।

छ0ग0शासन व्दारा,
आबकारी वृत, चिचोला
जिला –राजनांदगांव (छ0ग0)

.....अनावेदक/शासन,

10.10.2022 आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री सिद्धार्थ गजभिए, अधिवक्ता।
अनावेदक/शासन की ओर से श्री कुंजलाल साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक।

आबकारी वृत चिचोला, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के अपराध क्रमांक 55/2022 अंतर्गत धारा धारा 34(2), 36 एवं 59 (क) आबकारी अधिनियम की केस डायरी लिखित आपत्ति प्रतिवेदन के साथ प्राप्त ।

आवेदक की ओर से लीलू पटेल आ0 स्वर्गीय शंकर लाल पटेल, आयु 31 वर्ष, निवासी ग्राम बागव्दार, थाना गेंदाटोला, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के शपथ पत्र के व्दारा समर्थित आवेदक का धारा 439 दं.प्र.सं. के अधीन यह प्रथम जमानत आवेदन होना बताया है। यह भी घोषित किया है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदन किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही

निराकृत हुआ है ।

जमानत आवेदन इस आशय का है कि आबकारी वृत चिचोला, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के अपराध क्रमांक 55/2022 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध में आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहॉ से आवेदक को जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दंड प्रकिया संहिता दिनांक 6.10.2022 को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक के आधिपत्य से कोई शराब जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदक नवयुवक है, जिसे अधिक दिनों तक अभिरक्षा में रखा जाता है, तो अन्य अपराधियों के संसर्ग में उसके मन मस्तिष्क पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। वर्तमान में पुलिस व्दारा विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके चलते प्रकरण की विवेचना में समय लगने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है। आवेदक उपरोक्त पते पर निवास करता है, जिसके चलते उसके अन्यत्र पलायन करने व भागने या फरार होने की कोई संभावना विद्यमान नहीं है। आवेदक इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है कि जमानत पर रिहाई उपरांत किसी भी अभियोजन साक्षियों को प्रभावित कर सके। आवेदक न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने को तत्पर है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

श्री कुंजलाल साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर होना बताते हुए जमानत आवेदन का विरोध किया है ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विव्दान अधिवक्ता ने तर्क करते हुए यह निवेदन किया कि अपराध धारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्दारा विचारणीय है । अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये तथा आबकारी वृत चिचोला, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के अपराध क्रमांक 55/2022 अंतर्गत धारा 34(2), 36 एवं 59 (क) आबकारी अधिनियम की केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अभियोजन मामला संक्षेप में इस आशय का है कि आबकारी वृत,चिचोला, जिला–राजनांदगांव में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक को दिनांक 6.10.2022 को गश्त के दौरान सूचना प्राप्त होने पर समयाभाव एवं माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना तलाशी वारंट प्राप्त किये हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के साथ ग्राम आतरगांव से बागव्दार मार्ग में मोड़ के पास पहुॅच कर अभियुक्त बिंझवार पटेल के वाहन मोटर सायकिल एच.एफ.डीलक्स नंबर सी.जी.07 बी.टी.3885 को रोक कर उसकी तलाशी लेने पर एक कपड़े के थैले में भर कर रखे 50 नग देशी दारू संत्रा महाराष्ट्र राज्य निर्मित,जिसमें प्रत्येक में 180–180 एम.एल.देशी दारू संत्रा कुल 9.00 बल्क लीटर थी, बरामद की गई। अभियुक्त के कब्जे से 9.00 बल्क लीटर महाराष्ट्र राज्य निर्मित देशी दारू संत्रा शराब बरामद किये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 34(2), 36 एवं 59 (क)

आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। अभियुक्त को धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिये जाने पर उसके व्दारा शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना व्यक्त किया गया,तब उसके आधिपत्य से उक्त शराब एवं मोटर सायकिल की जप्ती की गई। अभियुक्त का कृत्य धारा 34(2), 36 एवं 59 (क)छ0ग0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पाये जाने पर अभियुक्त को रिमांड लेकर जेल भेजा गया है।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त से 9.00 बल्क लीटर महाराष्ट्र राज्य निर्मित देशी दारू संत्रा शराब जप्त किया जाना बताया गया है। अभियुक्त के पूर्व में इसी भॉति के किसी अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट व्दारा विचारणीय है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है।

अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव की संतुष्टि योग्य रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) की सक्षम जमानत और उतनी ही राशि का स्वंय का बंधपत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन पेश करे, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाए :–

(1) आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक पेशी दिनांक को नियमित रूप से उपस्थित उपस्थित होता रहेगा।

आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव को सूचनार्थ व पालनार्थ भेजी जाए।

आदेश की एक प्रति के साथ आबकारी वृत चिचोला, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)की केसडायरी वापस हो।

यह जमानत प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख जमा अभिलेखागार हो ।

सही/—
(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव(छ.ग.)

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,राजनांदगांव को सूचनार्थ व पालनार्थ अग्रेषित।

2. आबकारी उपनिरीक्षक,वृत—चिचोला,जिला—राजनांदगांव (छ0ग0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

सही/—
(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव(छ.ग.)

SATYABHAMA AJAY DUBEY

Digitally signed by SATYABHAMA AJAY DUBEY
Date: 2022.10.10 13:01:41 +0530